(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) द्विपक्षीय आधार पर मजूरी का निर्णय करने की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है ।

Setting up of food Processing Units in Maharashtra

1616. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the details of proposals received by the Central Government for setting up of new food processing industries in Maharashtra during 1991-92, district-wise; and

(b) what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE, (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) As per information available with this Ministry, the following applications have been received from setting up food processing industries in Maharashtra:—

District	No. of applications	Item
Poona	1	Milk products
	2	Wheat products
	1	Light malt beverages
	1	Broiler Hatching eggs,
	1	Beer
Kolhapur	1	Beer
Sangli	1	Maize strach
	1	Compressed yeast for bakers & distilleries
Nagpur	1	Food & enzymes preparations
Aurangabad	1	Beer
Bhandara	1	Beer
Chandrapur	1	Beer
Ratnagiri	2	Beer
Thane	3	Beer
Osmanabad	1	Beer
Raigarh	1	Processing of fruits
	2	Beer
Ahmednagar	1	Beer
Total	23	

Besides the above 4 applications for manufacturing beer have also been received where in the applicants have not mentioned the location of the proposed plants.

(b) In the New Industrial Policy announced on 24th July, 1991, re qulrements of compulsory licensing/ registration etc. have been, abolished for all types of food processing industries, except for industries for beer and potable alcohol and lor items reserved for small scale industries, proposed to be set up -within certain locational parameters. Applicants other than the applicants for beer and potable alcohol are now to follow the simplified procedures indicated in the various Press Notes follow the simplied procedures indi-rial Development in this regard. The applications for beer and potable alochol are being examined.

देश में अनुसंधान और विकास एकक

1617. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने अनुसधान और विकास एकक हैं तथा इनमें से उद्योग संबंधी एकक कितने हैं ;

(ख) ऐसे एककों में अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि लगी हुई हैं तथा क्या सरकार इन एककों के कार्यनिष्पादन से संतुष्ट है ; और

(ग) क्या सरकार उच्च तकनीकी क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करने की बजाय उच्चकोटि के वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों (टेक्नोक्रेटस) के लिए उद्योगों में विशेष कक्ष खोलने और उन्हें अनिवार्य रूप से नौकरियों के अवसर प्रदान करने की नीति को लागू करेगी ताकि प्रतिभा पलायन को रोका जा सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) देश में 2800 से अधिक अनुसंधान और विकास एकक हैं, जिनमें घरेलू अनुसंधान और विकास एककों के रूप में उद्योग द्वारा स्थापित किए गए लगभग 1175 एकक तथा उद्योग द्वारा दिए गए दानों और अंशदानों से गैर-लाभ केन्द्रों के रूप में स्थापित लगभग 400 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठन सम्मिलित हैं ।

(ख) और (ग) डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त 1175 घरेलू अनुसंधान और विकास एककों द्वारा वर्ष 1990 के दौरान किया गया अनुसंधान और विकास व्यय 750 करोड़ रुपए था ।

भारत में उद्योग द्वारा उद्योग में अनुसंधान और विकास हाल ही में हुआ है और धीरे-धीरे बढ़ रहा है । वर्तमान में देश में कुल अनुसंधान और विकास व्यय का यह लगभग 20 प्रतिशत है । उद्योग के कुल टर्नओवर की तुलना में सापेक्षतया यह कम भी है । अत: सरकार इस क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए तथा अनुसंधान और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए उद्योगों से आग्रह करती रही है ।

साथ ही प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए सरकार ने समय समय पर कई कदम उठाये हैं । ऐसा ही एक कदम उद्योग मंत्रालय में विशिष्ट अनुमोदन समिति का सृजन था, जिसका उद्देश्य देश में औद्योगिक एककों को स्थापित करने के लिए एनआरआई (अनिवासी भारतीयों) के आवेदनों का त्वरित निपटान करने में उनकी सहायता करना था । वर्ष 1989-91 के दौरान एनआरआई से प्राप्त लगभग 90 आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया जिनमें बल्क ड्रग फॉरमुलेशन, लेबारेटरी इंस्ट्रूमेंटस तथा ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए टूलिंग और डाईज जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को स्थापित करने के लिए उनके हित शामिल थे ।